UPMZ010004422024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी :– रवि कान्त-III, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6062

<u>सत्र परीक्षण संख्या :– 75 सन् 2024</u>

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष

बनाम

जोगेन्द्र उर्फ ढोला पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम ढिंढावली थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं0–334 सन् 2023,
धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–तितावी, जिला–मुजफ्फरनगर।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस थाना–तितावी द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला के विरूद्ध धारा–302 भा.दं.सं. के अर्न्तगत प्रेषित किए गए आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 08.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा उक्त प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के फलस्वरूप दिनांक 10.01.2024 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र सुपुर्द किए जाने के उपरोक्त दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर, सत्र परीक्षण संख्या–75 सन् 2024, 'उ.प्र. राज्य बनाम जोगेन्द्र उर्फ ढोला' के रूप में माननीय सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित रहने के पश्चात् अंतरण के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को प्राप्त हुआ।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा चौकीदार मौ0 अली द्वारा दिनांक 10.12.2023 को थाना तितावी पर तहरीर प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने अपनी सगी मां प्रकाशी को किसी कारणवश फावड़े से सिर में चोट मारकर हत्या कर दी है।

Digitally signed by Ravi Kant
Date: 2025.07.28 15:23:35 IST
Reason: judgment
Location: ASJ 01

3. वादी मुकदमा मौ0 अली द्वारा थाना तितावी पर प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला के विरूद्ध दिनांक 10.12.2023 को मु0अ0सं0–334 सन् 2023 धारा–302 भा.दं.सं. के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट संख्या–15 समय 10.40 बजे दिनांक 10.12.2023 में किया गया। प्रकरण में विवेचना जोगिन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक द्वारा ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, उनके द्वारा घटना स्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शानजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए तथा बाद विवेचना अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला के विरूद्ध धारा–302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरांत उसके विरूद्ध दिनांक 12.03.2024 को आरोप अंतर्गत धारा–302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसको पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा मौ0 अली ने तहरीर को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में जितेन्द्र कुमार परीक्षित हुए हैं। **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित नरेश कुमार को परीक्षित कराया गया। **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित योगेन्द्र शर्मा को परीक्षित कराया गया। **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित डॉ0 नवनीत चौधरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित रिचा चौधरी ने कागज संख्या 4क/ 1ता 4क/3 को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है तथा जीडी संख्या 15 समय 10:40 बजे दिनांकित 10.12.2023, कागज संख्या 6/11 को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–7** के रूप में परीक्षित के रूप में परीक्षित उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने कागज संख्या 12/ 1 ता 12/ 3 को **<u>प्रदर्श क–5</u>** तथा कागज संख्या 12/ 9 पर **<u>प्रदर्श क–6</u>** तथा चिट्ठी 12/ 6 **<u>प्रदर्श क–7</u>** सीएमओ चिट्ठी 12/ 7 को **<u>प्रदर्श क–8</u>** एवं चालान नाश संख्या 12/ 9 को **<u>प्रदर्श क–9</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–8** के रूप में परीक्षित उपनिरीक्षक जोगेन्द्र सिंह ने कागज संख्या 9 फर्द बरामदगी

को **प्रदर्श क–10** एवं कागज संख्या 10क/1 को **प्रदर्श क–11** व कागज संख्या 10क/ 2 को **प्रदर्श क–12** व फाबडा को **प्रदर्श क–13** तथा कागज संख्या 3/ 1 ता 3/3 आरोप पत्र को **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–9** के रूप में धर्मवीर सिंह को परीक्षित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा चौकी दार मौ0 अली ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2023 को मैं चौकीदार ग्राम ढिढावली को जानकारी हुई कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला पुत्र धर्मवीर जाति पंडित निवासी ग्राम ढिंढावली थाना तितावी ने अपनी मां प्रकाशी को किसी बात की कहासुनी को लेकर उसके सिर में फाबडे से चोट मारकर हत्या कर दी है। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 5 को देखकर इसे अपने हस्तलेख दिनांक 10.12.2023 को थाना तितावी पर दिया जाना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

7. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में परीक्षित जितेन्द्र कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2023 को मैं अपने गांव में ही था और मैं अपने खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। जब मैं दोपहर को खेत से अपने घर वापस आया तो गांव में आकर मैंने लोगों सुना कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला पुत्र धर्मवीर ने अपनी मां से पैसे मांगने के लिए आए दिन झगडा करता रहता था। आज पैसे ना देने के कारण जोगेन्द्र ने फावडे के बिन्टे से अपनी मां के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। पंचनामे की कार्यवाही मेरे सामने करके मेरे हस्ताक्षर कराये गए।

8. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित साक्षी नरेश कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2023 को मैं सुबह उठकर अपने घर से अपने खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। जब मैं अपने खेत से वापिस आया था तथा करीब दिन के 11–11:30 बजे हुए थे। उस समय ग्राम की गली मौहल्ले में लोग इकटठा होकर आपस में जिक्र कर रहे थे कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने अपनी मां प्रकाशी के सिर में चोट मारकर उसे जान से

मार दिया है और यह भी कह रहे थे कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला पैसे के लिए रोज अपनी मां से झगडा करता था और इसी झगडे को लेकर आज उसने अपनी मां को मार दिया। गांव में जोगेन्द्र के घर पुलिस करीब 01:00 बजे दोपहर आयी थी। जब पुलिस जोगेन्द्र के घर आयी थी तो उस समय मैं भी वहीं पर चला गया था और पुलिस ने जब पंचनामे की कार्यवाही की तो पंचनामें पर मेरे हस्ताक्षर थे। घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था।

9. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित योगेन्द्र शर्मा ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं प्राईवेट गाडी चलाने का काम करता हूं और करीब 25 वर्षों से ही मुजफ्फरनगर शहर में रह रहा हूं। मैं मौहल्ला हरिपुरम, कूकडा थाना नईमंडी में रहता हूं। दिनांक 09.12.2023 को मैं अपनी गाडी लेकर बाहर गया हुआ था और दोपहर को अपने घर वापस गया था। जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे गांव से किसी व्यक्ति का फोन आया और कहा कि तुम्हारे भाई जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने तुम्हारी मां के सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी है। जब मैं गांव गया तो पिताजी ने बताया कि तुम्हारी मां की आकस्मिक मृत्यु हुई है। जब मेरी माताजी की मृत्यु हुई थी तो तब मैं गांव में नहीं था। जोगेन्द्र उर्फ ढोला मेरा छोटा भाई है। मैंने उसे कभी अपनी मां से लडते नहीं देखा। इस घटना की बाबत हमने कोई तहरीर थाने पर नहीं दी थी। जब मैं गांव पहुंचा तो पंचनामें की कार्यवाही चल रही थी। पंचनामें प्रपत्र पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर कराए थे।

10. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित डॉ0 नवनीत चौधरी ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि मैं दिनांक 10.12.2023 को पोस्टमार्टम हाउस, जटमुझेडा पर तैनात था। मेरी डयूटी पोस्टामार्टम हेतु मुजफ्फरनगर में लगी थी। मेरे द्वारा मृतका प्रकाशी पत्नी धर्मवीर शर्मा ग्राम ढिढांवली थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर का पोस्टमार्टम किया गया था। पत्रावली पर शव विच्छेदन आख्या दिनांकित 10.12.2023 को 765/ 2023 शव प्राप्त करने का समय 11:10 ए0एम0 एवं शव विच्छेदन आरंभ करने का समय 11:15 से तथा शव विच्छेदन पूर्ण करने का समय 11:50 ए0एम0 था। मृतका प्रकाशी का शव लाने वाले पुलिस कर्मचारी एल/सी 24 रीटा एवं सी/पी 2407 ओमवीर व प्रपत्रों के साथ लाए थे। मृतका की बनावट माध्यम औसत थी। मृतका

के पहने हुए वस्त्रों का विवरण। 1– येलो रबर इन हेयर स्टेन विद ब्लड, 2– पीला नाक में नोच पिन पीली धातु का था, 3– कार्डिगन भूरा व सफेद डिजाईनदार था, 4– स्वेटर काला और सफेद एक, 5– एक सफेद शर्ट जो कि सफेद, पीली, नीली व महरूम लाईनदार खून से लदी थी, 6– कांच की चूडी टुकडे हरे व सुनहरे रंग के थे, 7– धोती भूरे फूलदार व पत्तीदार थी, 8– एक हरा पेटीकोट, 9– एक सनी पजामी, 10– एक जोडा सफेद धातुदार पायल का था, 11– एक जोडा सफेद धातु चुटकी का था, 11– एक लाला धागा पैर के दाहिने पैर के अंगूठे में बंधा था। कुल 12 आईटम मेरे द्वारा सील्ड किए गए थे। मृत्यु पश्चात अकडन की स्थिति पूरे शरीर में पायी गयी। शव विच्छेदन परीक्षण के समय की स्थिति– नेत्र दोनों बंद थे और पेल थे। दांत 10/11, वाह्य चोंटे ANTI MORTEM INJURIES- (1) CACRATED WOUND OF SIZE 5C.M.X1C.M. BRAIN DEEP जो सिर के उपरी व दायीं तरफ थी जो कि 17 सेमी उपर दाहिने कान से। आंतरिक परीक्षण– 1– सिर (A) SCALP AS NOTED (B)- SKULL राईट PARIETAL BONE फेक्चर, (C) झिल्लियां व झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनियां LACERATED थी। (D) BRAIN-LACERTED AND CLOUTTED BLOOD प्रजेंट। (2) छाती & NEEK (NAD), (3) छाती में दोनों फेफडे PALE पाये गए। हृदय स्थिति खाली थी (4) उदर– अमाशय में 100 SEMISOLID मैटेरियल पाया गया। छोटी आत एपेंडिस सहित में पचा हुआ खाना गौर गैसेज पायी गयी। बडी आंत मेजेन्ट्रीक वाहिनियां सहित में FAECAL MATTER और गैस पायी गयी। लीवर– PALE पाया गया और गाल ब्लेडर HALF-FULL पाया गया था। SPLEEN PALE पायी गयी। अग्नाशय PALE पाया गया। बायें व दायें गुर्दे PALE पाये गये। मुत्राशय व मूत्र वाहिनी खाली पायी गयी। मृत्यु का समय लगभग 24 घंटे। मृत्यु का कारण – Shock and Haemorrhage as the result of anti mortem head injuries. मेरे द्वारा सभी प्रपत्रों को थाने से आए हुए पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया था। गवाह ने पत्रावली पर मौजूद शव विच्छेदन आख्या कागज संख्या 12/10 ता 12/14 अपने द्वारा तैयार करना तथा

इस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करना कहते हुए शव विच्छेदन आख्या को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

11. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित एल/सी 1335 रिचा चौधरी ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 10.12.2023 को थाना तितावी में सी/सी के 45 पर तैनात थी। उसी दिन मेरे द्वारा वादी मुकदमा मौ0 अली के लिखित तहरीर प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–334/2023 धारा 302 भा0दं0स0 एस0एच0ओ0 साहब के लिखित आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट टाईप शब्द व शब्द किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का0सं0–4क/1ता 4क/3 पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहर अंकित होना कहते हुए इसकी शिनाख्त कर चिक एफ.आई.आर. को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। इस मुकदमें का खुलासा उसके द्वारा जी.डी. नं0–15 समय 10:40 दिनांकित 10.12.2023 को किया गया था गवाह ने पत्रावली पर संलग्न जी.डी. का0सं0–6/11 की शिनाख्त करते हुए, उक्त जी.डी. को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

12. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–7** के रूप में उपनिरीक्षिक इंद्रजीत सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 09.12.2023 को थाना तितावी पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। दूरभाष के द्वारा प्राप्त सूचना पर रपट संख्या 33 समय 14:07 बजे पर थाना हाजा से मैं कां0 ओमवीर, मय कां0 रीता जिल्द पंचायतनामा के बाबत सूचना चौकीदार मौ0 अली ग्राम ढिंढावली धर्मवीर के घर पहुंचे थे, सिर में चोट लगने के कारण श्रीमती प्रकाशी की मृत्यु हुई है। मेरे द्वारा पंचार नियुक्त कर पंचायतनामें की कार्यवाही शुरू की गयी। मृतका प्रकाशों की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। उसकी मृत्यु सिर में फावडा लगने के कारण हुई थी। शव का सिर उत्तर की तरफ पैर दक्षिण की तरिफ बाजु सीधी कमरे की तरफ पडा हुआ था। मुंह बंद था। मृतका का धड करीब सवा पांच फुट रंग सांवला सिर पर पिछली तरफ चोट का निशान था। मृतका कमीज सफेद लाईनदार, कार्डिगन काला सफेद, नाक में मोती लाल पाजामी, हरा पेटीकोट, धोती छीटेदार बादामी सफेद, दोनों पैरों में सफेद धातु के पायल व बिछए, पैर के सीधे अंगूठे में एक जेतुंआ रंग का धागा था। बालों में रबड लगी थी। मेरे द्वारा शव के पंचायतनामें की कार्यवाही कर शव वास्ते पोस्टमार्टम शव परीक्षण गृह कां0

ओमवीर व मय कां0 रीता की सुपुर्दगी में देकर भेजा गया था। गवाह ने पत्रावली पर पंचायतनामा का0सं0–12/1 ता 12/3 पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए इसे **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है तथा पत्रावली पर कागज संख्या 12/5 फोटा नाश, 12/6 आर.आई. चिट्ठी, 12/ 8 व 12/9, कागज संख्या 12/9 चालान नाश पर भी अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए, फोटो नाश को **प्रदर्श क–6**, आर आई चिटठी 12/6 को **प्रदर्श क–7,** सीएमओ, चिट्ठी को **प्रदर्श क–8** एवं चालान नाश 12/9 को **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया है।

13. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–8** के रूप में परीक्षित उपनिरीक्षक जोगेन्द्र सिंह ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.12.2023 को मैं थाना तितावी पर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। मु0अ0सं 334/2023 की विवेचना मैंने ग्रहण की तथा सी0डी0 के पर्चा संख्या 1 मेरे द्वारा किया गया जिसमें निरीक्षण घटना स्थल, नक्शा नजरी, अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक अदद फाबडा बरामद किया गया। इसी दिन मेरे द्वारा एफआईआर लेखक एल/सी 1335 रिचा चौधरी के बयान अंकित किए गए तथा वादी मुकदमा चौकीदार मौ0 अली के बयान अंकित किए तथा उसी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया तथा पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसी पर्चे में मेरे द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर मुल्जिम को गिरफ्तार करके जमा तलाशी कर हवालात में कराया। गिरफ्तारी का समय 13:55 बजे घटना में प्रयुक्त फावडे के संबंध में बताया कि मैंने अगले समय फावडा ईख की मेढ में छुपा दिया। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 9 फर्द बरामदगी को देखकर कहा कि मेरे द्वारा बोल–बोल कर कां0 भूदेव से तैयार करायी गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श **क–10** डाला गया। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 10/1 व 10/2 को देखकर बताया कि नक्शा नजरी 1021 मेरे द्वारा वादी की निशानदेही पर तैयार किया गया था जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। कागज संख्या 10/2 नक्शा बरामदगी आला कत्ल भी मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। पत्रावली पर कागज संख्या 11 को देखकर

कहा कि दिनांक 10.12.2023 को यह गिरफ्तारी प्रपत्र समय 10:43 बजे रपट नं0 16 थाने से रवाना होकर ढिढावली पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर रविदास मंदिर के पास ग्रे कलर की टी–शर्ट पहने जोगेन्द्र उर्फ ढोला को समय 13:55 बजे गिरफ्तार कर यिला था। मुल्जिम द्वारा आला कत्ल फावडा रविदास के मंदिर के पीछे ईख के मेढे में से बरामद कराया था। गवाह ने इस गिरफ्तारी प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। सी0डी0 का पर्चा संख्या 2 दिनांक 14.12.2023 को किता किया, जिसमें मेरे द्वारा मृतक प्रकाशी उम्र करीब 80 वर्ष के पंचायतनामें का अवलोकन किया गया। पंचायत नामा नकल को संलग्न किया गया। दिनांक 16.12.2023 को सी0डी0 का पर्चा नं03 किता किया जिसमें बयान पंचायतनामा गवाह नरेन्द्र पुत्र चंद्रदत्त शर्मा, जितेन्द्र कुमार पुत्र अतर सिंह, योगेन्द्र पुत्र धर्म सिंह, मदन शर्मा पुत्र कालीराम, नरेश कुमार पुत्र वेदीराम, अंकित किए गए तथा पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह, कां0 ओमवीर व एल/सी रीटा के बयान अंकित किए गए। इसी दिन मेरे द्वारा डा0 नवनीत चौधरी जिनके द्वारा पी0एम0 किया गया था, के बयान अंकित किए। दिनांक 18.12.2023 को सी0डी0 का पर्चा संख्या 4 किता किया जिसमें मेरे द्वारा फर्द के गवाह कां0 मनोज कुमार, चौधरी भूदेव, चालक कां0 गौरव चौधरी के बयान अंकित किए गए। दिनांक 19.12.2023 को सी0डी0 का पर्चा नं0 5 किता किया जिसमें मेरे द्वारा एफएसएल रिपोर्ट का अवलोकन तथा कां0 गौरव राणा विशेष वाहक के बयान अंकित किए गए। दिनांक 19.12.2023 को ही मेरे द्वारा संपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र संख्या 285/2023 बनाम जोगेन्द्र उर्फ ढोला धारा 302 भा0दं0सं0 माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। गवाहन ने पत्रावली पर कागज संख्या 3/1 ता 3/3 को देखकर कहा कि यह वही आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा कंप्यूटर पर टाईप कराकर प्रेषित किया गया जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। उपनिरीक्षक जोगेन्द्र सिंह ने पुनः सशपथ बयान दिया कि इससे पूर्व दिनांक 06.12.2024 को मेरी माननीय न्यायालय में मुख्य परीक्षा हुई थी। आज माननीय न्यायालय में माल मुकदमा, सील सर्वे मोहर एक सफेद पुलिन्दे के रूप में मौजूद है। इस पुलिन्दे के उपर मु0अ0सं0 334 सन् 2023 थाना तितावी मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है एवं केस नं0 9399–sero-23 काली स्याही से लिखा हुआ है। इस

पलास्टिक के कट्टे पर एक फावडा डाल कत्ल संबंधित अ0अ0 334/2023 धारा 302 भा0दं0सं0 सरकार बनाम जोगेन्द्र उर्फ ढोला चालानी थाना, तितावी, मुजफ्फरनगर लिखा हुआ है। साक्षी के हस्ताक्षर व दिनांक लिखी है। इस प्लास्टिक के कट्टे के अंदर से एक फावडा जिसके लकडी के बिट्टे पर एफएसएल की चिटबंदी की है। इस चिटबंदी पर दिनांक 16.10.2024, 9399-sero- प्रदर्श संख्या 1 एवं एफ.एस.एल. अधिकारी के हस्ताक्षर है। इस फावडे पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। इसके के अंदर से मृतका के कपडे, जिसमें एक सफेद भूरी छींटदार साडी जिस पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया तथा एक लाईनदार कमीज जिस पर वस्तु प्रदर्श क–5 डाला गया, इस पर एफ.एस.एल. की चिटबंदी है तथा एक लाल रंग की पाजामी जिस पर एफ.एस.एल की चिटबंदी है जिस पर **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया। इसी में एक काला ब्राउन अनी कार्डिगन निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श क–7 डाला गया। इसी में से एक क्रीम व काले रंग का स्वेटर निकला, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 8** डाला गया।

14. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–9** के रूप में परीक्षित धर्मवीर ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला मेरा पुत्र है। जोगेन्द्र मेरा तीसरे नम्बर का लड़का है। मेरी पत्नी का नाम प्रकाशी है। मेरी पत्नी कुल्ला कर रही थी, तभी रपटकर पत्थर पर जा गिरी। पत्थर पर लोहे की कील लगी हुई थी जो उसके सिर में लग गयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मेरे लडके जोगेन्द्र ने फावडे से मेरी पत्नी प्रकाशी को नहीं मारा। इस संबंध में दरोगा जी ने भी मेरे कोई बयान नहीं लिए थे।

15. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किए जाने पर, अभियुक्त ने घटना को गलत होना कहा है तथा पी.डब्ल्यू–1 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में झूठी रिपोर्ट दर्ज किया जाना कहते हुए पी.डब्ल्यू–2 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि सुनी सुनायी बात पर झूठी गवाही दी है तथा पी.डब्ल्यू–3 द्वारा दिए गए बयान को झूठा होना कहते हुए पी.डब्ल्यू–4 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि किसी व्यक्ति ने फोन पर गलत सूचना दी है तथा पी.डब्ल्यू–5 चिकित्सक द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि उक्त साक्षी ने

अपने बयान में चोट गिरने से आना संभव होना बताया है तथा पी.डब्ल्यू–6 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कहा है कि यह घटना की गवाह नहीं है, जो विवेचक ने लिखकर दिया, वही इसने लिख दिया तथा पी.डब्ल्यू–7 विवेचक द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि यह कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और न ही पंचायतनामे के गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथा पी.डब्ल्यू–8 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में कथन किया है कि मुकदमा झूठा दर्ज किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी गलत दिखायी गयी है, बरामदगी फर्जी दिखायी गयी है। गवाहान के बयान झूठे व फर्जी दर्ज किए हैं तथा पी.डब्ल्यू–9 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में 'कुछ नहीं कहना' कहते हुए अपने विरूद्ध मुकदमा गांव की रंजिश के कारण चलना कहते हुए सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया है।

16. मैंने अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

17. अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप हैं कि अभियुक्त ने अपनी मां प्रकाशी के सिर में फावड़ा मारकर उसकी हत्या कारित की है।

18. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त को मृतका की हत्या करते हुए नहीं देखा है। घटना का कोई हेतुक नहीं है। अभियुक्त से तथाकथित आलाकत्ल की दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी है। अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

19. बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में विधि व्यवस्थाएं – रामानंद उर्फ नन्दीलाल भारती बनाम उ.प्र. राज्य ए.आई.आर. 2022 एस.सी. पेज–5273, पुलुकुरी कोट्टाया एउवं अन्य बनाम एम्परर ए.आई.आर. 1947 पी.सी. पेज–67, राहुल बनाम राज्य (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) (2023) 1 एस.सी.सी. पेज–1983, छोटकाउ बनाम उ.प्र. राज्य (2023) 6 एस.सी.सी. पेज–742, रवि मण्डल बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2023) लाईवलॉ (एस.सी.) पेज–470, भास्कर राव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2018) 6 एस.सी.सी. पेज–591, उजागर सिंह बनाम

पंजाब राज्य (2007) 13 एस.सी.सी. पेज–90 एवं शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 9 सुप्रीम कोर्ट पेज–121 प्रस्तुत की गयी हैं।

20. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी मां प्रकाशी को फावड़े से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है, इस तथ्य को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

21. अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को संदेह से परे करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–302 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

22. मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

23. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा चौकीदार मौ0 अली द्वारा दिनांक 10.12.2023 को थाना तितावी पर तहरीर प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने अपनी सगी मां प्रकाशी को किसी कारणवश फाबडे से सिर में चोट मारकर हत्या कर दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि घटना मृतका के घर के अंदर घटित हुई है तथा घर की चारदीवारी के अंदर किए गए हत्या जैसे जघन्य अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना संभव नहीं है। घटना घर की चारदीवारी के अंदर की होने के कारण उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत अभियुक्त को अपराध कारित करने हेतु उसे योजना बनाने के लिए अवसर प्राप्त था। अभियोजन के लिए यह मुश्किल है कि वह अभियुक्त को दोषी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें। न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दण्डित नहीं होना चाहिए और न्यायालय का यह भी कर्त्तव्य है कि वह देखे कि कोई भी दोषी व्यक्ति बचने न पाए। न्यायालय के उक्त दोनों कर्त्तव्य लोक कर्त्तव्य हैं। कानून अभियोजन को इस प्रकार के साक्ष्य को प्रस्तुत करने का आदेश नहीं दे सकता, जो साक्ष्य किसी भी कीमत पर प्रस्तुत किया जाना असंभव हो। अभियोजन इस प्रकार के परिस्थितजन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जिससे

तथ्य साबित हो सकें। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू–1 जो कि चौकीदार है, जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.12.2023 को समय 10.40 बजे अभियुक्त की अपनी मां प्रकाशी से हुई कहासुनी को लेकर अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर फावड़े से वार करने के संबंध में दर्ज करायी गयी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 09.12.2023 की लगभग 11.00–11.30 बजे की थी, लेकिन मृतका के घर वालों ने मृतका की मृत्यु होने के संबंध में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और न ही संबंधित थाने पर कोई सूचना दी गयी। पी.डब्ल्यू–2 जितेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कहा है कि वह अपने खेत पर गया था। जब वह दोपहर को खेत से अपने घर वापस आया, तब गांव में आकर उसने लोगों ने सुना कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला अपनी मां से पैसे मांगने के लिए आया था तथा उसकी मां द्वारा उसे पैसे न देने के कारण फावड़े के बिन्टे से अपनी मां के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पी. डब्ल्यू–3 नरेश कुमार ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 09.12.2023 को जब वह अपने खेत से वापस आया, तब करीब 11.00–11.30 बजे होंगे, उस समय गांव की गली मौहल्ले में लोग इकट्ठा होकर आपस में जिक्र कर रहे थे कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने अपनी मां प्रकाशी के सिर में चोट मारकर उसे जान से मार दिया है। यह भी कह रहे थे कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला पैसे मांगने के लिए अपनी मां से झगड़ा कर रहा था और इसी झगड़े को लेकर उसने अपनी मां को मार डाला। इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 09.12.2023 की दोपहर की है। पी.डब्ल्यू–3 ने समय 11.00–11.30 बजे खेत से गांव में आने पर घटना की सूचना का ज्ञान होना तथा पी.डब्ल्यू–1 ने दोपहर में खेत से गांव में आने पर घटना का ज्ञान होना बताया है, इन्हीं दोनों साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दोपहर लगभग 11.00–11.30 बजे की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट गांव के चौकीदार द्वारा दिनांक 10.12.2023 को समय 10.40 बजे दर्ज करायी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के घरवालों द्वारा अभियुक्त को बचाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी, जबकि पंचनामा दिनांक 09.12.2023 को ही मृतका के घर पर भरा गया था, ये परिस्थितियां अभियुक्त के विरूद्ध जाती हैं, जो एक श्रृखला का निर्माण करती है।

24. यह सही है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त को मृतका प्रकाशी की हत्या करते हुए नहीं देखा है, लेकिन तथ्य के साक्षी पी.डब्ल्यू–2 जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–3 नरेश कुमार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जोगेन्द्र उर्फ ढोला अपनी मां से पैसे लेने के लिए कहासुनी करता था, इसी बात के ऊपर उसने अपनी मां के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी, ये सब कथन उनके द्वारा गांव में घटना के बाद लोगों के मुंह से सुने हैं। पचंनामा प्रदर्श क–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचों द्वारा अपनी राय में कहा गया है कि 'हम पंचों की राय में श्रीमति प्रकाशी पत्नी धर्मवीर शर्मा निवासी ग्राम ढिंढावली थाना तितावी उम्र करीब 80 वर्ष की मृत्यु सिर में फावडा लगने के कारण हुई है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करा लिया जाए।'' पंचनामा के अंत में राय उपनिरीक्षक में उपनिरीक्षक ने लिखा है कि उसकी राय से राय पंचान मेल खाती है। मृतका श्रीमति प्रकाशी पत्नी धर्मवीर शर्मा की मृत्यु सिर फावड़ा लगने के कारण हुई है, फिर भी यह परिस्थिति की चैन को पूर्ण करती है, जो घटना का कारण स्पष्ट करती है।

25. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रकाश में अभियुक्त के पिता एवं मृतका के पति पी.डब्ल्यू–9 के रूप में धर्मवीर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने साक्ष्य में कहा है कि जोगेन्द्र उसका तीसरे नम्बर का लड़का है तथा उसकी पत्नी का नाम प्रकाशी है। उसकी पत्नी कुल्ला कर रही थी, तभी रपटकर पत्थर पर गिर गयी और पत्थर पर गिरने से पत्थर में लगी कील उसके सिर में लग गयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसके लड़के जोगेन्द्र ने फावड़े से उसकी पत्नी प्रकाशी को नहीं मारा है। इस साक्षी के साक्ष्य के संदर्भ में डॉ0 नवनीत चौधरी का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके अनुसार मृतका के एक मृत्यु पूर्व चोट थी, जिसमें फटा हुआ घाव 5 सेमी0 X 1 सेमी0 X ब्रेनडीप जो कि सिर के टॉप पर सीधी तरफ था तथा दाएं कान से 70 सेमी0 ऊपर था तथा दायां पैराइटल बोन में फ्रैक्चर था। झिल्ली लेसरेटिड थी, मस्तिष्क लेसरेटिड और कन्जस्टिड था, ब्लड मौजूद था तथा मृत्यु का कारण सिर पर आयी मृत्यु पूर्व चोट व 'शॉक व हेमरेज' था। पोस्टमार्टम आख्या के साथ लगे चित्र में सिर के टॉप पर चोट का निशान मौजूद है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि

यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से गिरे तो सिर के टॉप पर चोट आना संभव नहीं है। पी.डब्ल्यू–9 मृतका का पति व अभियुक्त का पिता कहता है कि वह पत्थर पर गिरी थी और पत्थर में लोहे की कील लगी थी, जो उसके सिर में लग गयी। कील से इस प्रकार का फटा हुआ घाव नहीं आ सकता। इस प्रकार इस साक्षी का कथन मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व दर्शायी गयी चोट से मेल नहीं खाता है। उक्त साक्षी न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है, क्योंकि उसके पुत्र अभियुक्त जोगेन्द्र पर उसकी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। पी. डब्ल्यू–9 धर्मवीर की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वह नहीं चाहता कि उसके पुत्र को सजा हो जाए, इसीलिए वह अपने पुत्रमोह के कारण वह सही बात न्यायालय में नहीं बता रहा है। इस संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी ने यह कहा है कि अभियुक्त ढोला उसकी व उसकी पत्नी प्रकाशी की देखभाल करता था, उसके शेष पुत्र गांव से बाहर रहते हैं। अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला ही गांव में रहकर उनकी देखभाल करता था तथा वे उसी पर निर्भर थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय मृतका प्रकाशी अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला तथा उसका पति धर्मवीर ही घर पर मौजूद थे। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में प्रश्न ''आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?'' इसके जवाब में अभियुक्त ने कहा है कि गांव की रंजिश के कारण तथा प्रश्न ''क्या आपको कुछ ओर कहना है ?'' जिसका उत्तर ''जी नहीं'' दिया है। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना किसी प्रकार घटित हुई, के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। **त्रिमुख मरोटी किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यह अभियुक्त की स्वयं की ड्यूटी है कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे, जिसमें मृतक की मृत्यु हुई तथा घर के एकांत में अपराध कारित किया गया। यदि अभियुक्त इस मामले में चुप रहता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो यह एक अतिरिक्त परिस्थिति का निर्माण करती है।

26. अभियुक्त धारा 315 दं.प्र.सं. के अंतर्गत भी स्वयं न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं हुआ है और न ही अभियुक्त द्वारा विवेचक पी. डब्ल्यू–8 एस.आई. जोगेन्द्र सिंह से इस बिन्दु पर कोई प्रश्न पूछा गया है। जबकि

उक्त विवेचक साक्षी द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल फावड़ा बरामद किया गया है, उक्त फर्द बरामदगी को विवेचक पी.डब्ल्यू—8 जोगेन्द्र सिंह ने प्रदर्श क—10 के रूप में साबित किया गया है। इन बिन्दुओं पर बचाव पक्ष उक्त साक्षी से कोई ऐसा तथ्य नहीं निकलवा पाया है, जिससे अभियोजन द्वारा दर्शायी गयी उक्त आलाकत्ल की बरामदगी अभियुक्त से न हुई हो। उक्त बरामदशुदा फावड़े को विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क—15 के रूप में उपलब्ध है, जिसके अनुसार फावड़े पर रक्त के धब्बे पाए गए हैं तथा रक्त के उक्त धब्बे वियोजित पाए गए हैं, अतः मूल निर्धारण नहीं हो सका। अभियुक्त से उक्त बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा—27 में ग्राहय है तथा उक्त बरामदशुदा आलाकत्ल जिससे मृतका की हत्या कारित की गयी है, उस पर रक्त पाया गया है, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त तथ्य भी एक परिस्थिति की चैन को पूर्ण करता है।

27. इस प्रकार अभियोजन की ओर से साबित की गयी परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मृतका की हत्या फावड़े से चोट पहुंचाकर की गयी है और जब अभियोजन प्रथम दृष्टया यह साबित कर देता है, तब अभियुक्त को अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में अवश्य ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई, उक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था — **कालू उर्फ लक्ष्मीनारायण बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2019) 10 एस.सी.सी. 2011** में महत्वपूर्ण है।

28. जब अभियोजन प्रथम दृष्टया यह साबित कर देता है कि मृतक की हत्या मृतका के घर पर हुई है और घर के अंदर उस समय मृतका के अतिरिक्त उसका पति व पुत्र जोगेन्द्र मौजूद थे और मृतका के पति ने अपने पुत्र व अभियुक्त को बचाने के लिए सही बात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। इस साक्षी ने कहा है कि मृतका की मृत्यु कुल्ला करते समय पत्थर पर लगी कील पर गिरने से हो गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्थर पर गिरने से किसी भी प्रकार से पेराईटल बोन का फ्रैक्चर नहीं हो सकता। यह सही है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित करे। लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है, जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करना संभव

नहीं है और न ही कानून यह अपेक्षा करता है कि अभियोजन किस स्तर का साक्ष्य प्रस्तुत करे। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त का यह दायित्व हो जाता है कि घर के अंदर किस प्रकार मृतका की मृत्यु हुई, वह उस तथ्य का वर्णन करे।

29. **साक्ष्य अधिनियम की धारा–106** के अनुसार, ''**विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार –** जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती है, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।

(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है।''

30. माननीय उच्चतम न्यायलय की तीन जजेज बेंच द्वारा पारित विधि व्यवस्था **अनीस बनाम केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली दाण्डिक अपील सं0–253 सन् 2023 निर्णीत दिनांकित 04 मार्च 2025** में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के लागू करने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं।

31. साक्ष्य अधिनियम की धारा–101 का अपवाद साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा–101 प्रावधान करती है कि साबित करने का भार अभियोजन पर होता है, लेकिन धारा–106 साक्ष्य अधिनियम उसका अपवाद है, जिसमें अभियेाजन को साबित करने के भार में कुछ 'रिलेक्स' दिया गया है या उसको उसकी ड्यूटी से 'रिलीव' किया गया है। धारा–106 साक्ष्य अधिनियम में विशेषतः ज्ञात तथ्य या विशेषतः (Especially) शब्द का वर्णन किया गया है, जो तथ्य उसके ज्ञान में है, उन्हें साबित करे, क्योंकि मृतक के साथ घर पर वह भी मौजूद था, तो वह यह साबित करे कि उसके द्वारा मृतका की हत्या नहीं की गयी है, तो किसके द्वारा की गयी है।

32. **In Shambhu Nath Mehra v. The State of Ajmer, AIR 1956 SC 404,** this Courts while considering the word "especially" employed in Section 106 of the Evidence Act speaking through Vivian Bose, J., observed as under:

"11. The word "especially" stresses that it means facts that are pre–eminently or exceptionally within his knowledge. If the section were to be

interpreted otherwise, it would lead to the very startling conclusion that in a murder case the burden lies on the accused to prove that he did not commit the murder because who could know better than he whether he did or did not

The aforesaid decision of Shambhu Nath (supra) has been referred to and relied upon in **Nagendra Sah v. State of Bihar, (2021) 10 SCC 725,** wherein this Court observed as under:

"22. Thus, Section 106 of the Evidence Act will apply to those cases where the prosecution has succeeded in establishing the facts from which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts which are within the special knowledge of the accused. When the accused fails to offer proper explanation about the existence of said other facts, the court can always draw an appropriate inference.

33. **पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह (2003) 11 एस.सी.सी. पेज–271** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जब अपराध घर की चारदीवारी के अंदर एकांत में किया जाता है, तब ऐसी परिस्थितियॉ जिसमें अभियुक्त को घर योजना बनाकर अपराध को अपनी सुविधा के अनुसार कारित करने का अवसर प्राप्त था, उस परिस्थिति में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना असंभव है और यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दण्डित न हो और न्यायालय का यह भी कर्त्तव्य है कि कोई भी दोषी व्यक्ति बचने न पाए। न्यायालय के उक्त दोनों कर्त्तव्य लोक कर्त्तव्य हैं। कानून अभियोजन को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आदेशित नहीं करता है, जिस परिस्थिति को साबित किया जाना अभियोजन के लिए असंभव व कठिन हो।

34. जहां घर के अंदर हत्या जैसा अपराध कारित किया गया है, वहां यह सही है कि केस को साबित करने का भार अभियोजन पर है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जिस प्रकार का भार अभियोजन पर होता है, उस तरह का भार अभियोजन पर नहीं रहता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 के अनुसार घर में रहने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह यह बताए कि किस प्रकार अपराध घटित हुआ, घरवाले इससे बच नहीं सकते।

35. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अपनी मां की फावड़े से चोट पहुंचाकर हत्या कारित की है, लेकिन अभियुक्त द्वारा अपनी मां की हत्या कारित करते समय उस समय घर में उसके साथ उसकी मां प्रकाशी मृतका

व उसके पिता मौजूद थे, उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है तथा उसे पिता धर्मवीर द्वारा बतौर पी.डब्ल्यू–9 यह साक्ष्य दिया गया है कि घर में कुल्ला करते समय उसकी पत्नी का पैर फिसलकर पत्थर पर गिर जाने से पत्थर पर लगी कील उसे लग गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर के टॉप पर फटा हुआ घाव है, उक्त फटा हुआ घाव किसी भी प्रकार से कील से नहीं आ सकता और मृतका के सिर के ऊपरी भाग अथवा स्थान पर दर्शायी गयी चोट किसी भी तरह से गिरने से नहीं आ सकती है और इस प्रकार गिरने से पेराइटल बोन का फ्रैक्चर भी नहीं आ सकता। इस प्रकार अभियुक्त का पिता पी.डब्ल्यू–9 धर्मवीर सही बात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अभियुक्त की ओर से चिकित्सक द्वारा दिए गए इस साक्ष्य पर बल दिया गया है कि चिकित्सक के अनुसार यह चोट गिरने से आ सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा–45 के अनुसार चिकित्सक साक्षी विशेषज्ञ साक्षी है, उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य उसकी राय है, जिसे न्यायालय मानने हेतु बाध्य नहीं है, जबकि निष्कर्ष उसके अनुरूप न हो। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद हुआ है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त बरामदशुदा फावड़े पर रक्त के धब्बे पाए गए हैं। अभियुक्त द्वारा इसके संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त द्वारा भी अपने धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान में इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घटना किस प्रकार कारित हुई।

36. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **अनीस बनाम केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली दाण्डिक अपील सं0–253 सन् 2023 निर्णीत दिनांकित 04 मार्च 2025** के पैरा–39 in Tulshiram Sahadu Suryawanshi and Anr. v. State of Maharashtra, (2012) 10 SCC 373, this Court observed as under

it is settled law that presumption of fact is a rule in law of evidence that a fact otherwise doubtful may be inferred from certain other proved facts. When inferring the existence of a fact from other set of proved facts, the court exercises a process of reasoning and reaches a logical conclusion as the most probable position. The above position is strengthened in view of Section 114 of the Evidence Act, 1872. It empowers the court to presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened. In that process, the courts shall have regard to the common course of natural events, human conduct, etc. in addition to the facts of the case. In these circumstances, the principles embodied in Section 106 of the Evidence Act can also be utilised.

We make it clear that this section is not intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, but it would apply to cases where the prosecution has succeeded in proving facts from which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts, unless the accused by virtue of his special knowledge regarding such facts, failed to offer any explanation which might drive the court to draw a different inference. It is useful to quote the following observation in State of W.B. v. Mir Mohammad Omar and Ors. [(2000) 8 SCC 382: 2000 SCC (Cri) 1516]: (SCC p. 393, para 38)

Vivian Bose, J., had observed that Section 106 of the Evidence Act is designed to meet certain exceptional cases in which it would be impossible for the prosecution to establish certain facts which are particularly within the knowledge of the accused. In Shambhu Nath Mehra v. The State of Ajmer [AIR 1956 SC 404 1956 Cri LJ 794] the learned Judge has stated the legal principle thus:

11. This lays down the general rule that in a criminal case the burden of proof is on the prosecution and Section 106 is certainly not intended to relieve it of that duty. On the contrary, it is designed to meet certain exceptional cases in which it would be impossible, or at any rate disproportionately difficult, for the prosecution to establish facts which are "especially" within the knowledge of the accused and which he could prove without difficulty or inconvenience. The word "especially stresses that. It means facts that are pre–eminently or exceptionally within his knowledge.

37. इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा–114 के अनुसार यह उपधारणा निकालती है कि अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में कहीं भी अपनी मां की हत्या किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के कब्जे से दर्शाया गया फावड़ा स्वयं के कब्जे से बरामद होने से इंकार किया गया है, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अनुसार बरामदशुदा फावड़े पर पाए गए धब्बे खून के होने के संबंध में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त ने स्वयं की मां प्रकाशी की मृत्यु की सूचना थाने पर न दिए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त घटना के दिन से ही मौके से फारार हो गया था तथा 10 तारीख को पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त का यह आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत पूर्व व पश्चात्वर्ती आचरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अभयोजन द्वारा स्थापित परिस्थितियों की श्रृंखला से एक ही

निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त द्वारा अपनी मां मृतका प्रकाशी की फावड़े से चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों से इसके अतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। उक्त परिस्थितियां पूर्णतया स्थापित हैं। अभियुक्त द्वारा अपने घर में अपनी मां के सिर में फावड़े से गंभीर चोट पहुंचाए जाने के कारण मृतका के सिर पर ब्रेनडीप घाव होना गया तथा राइट पेराईटल बोन में फ्रैक्चर होने के साथ मस्तिष्क की रक्तवाहिनियां फट गयी। अभियुक्त द्वारा खतरनाक आयुद्ध फावड़े से अपनी मां मृतका के नाजुक अंग सिर पर पहुंचायी गयी चोट की स्थिति से स्पष्ट है कि अभियुक्त का आशय मृतका को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था, जिससे वह जानता था कि उसकी मृत्यु संभव है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपनी मां की हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। निष्कर्षतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

38. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होती हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला को धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ ढोला जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली भोजनावकाश के बाद पेश हो।

(रवि कान्त-III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

दिनांक :–25.07.2025

बादहू दिनांक 25.07.2025

39. पत्रावली दण्ड पर सुने जाने हेतु भोजनावकाश के उपरान्त पेश हुई।

40. दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

41. दोषसिद्ध की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब है तथा उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं तथा अभियुक्त लगातार जिला कारागार में निरूद्ध है और उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

42. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा कहा गया है कि दोषसिद्ध द्वारा घर के अंदर अपनी मां के सिर में फावड़े से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा जैसा जघन्य व गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतएव दोषसिद्ध को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

43. दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियुक्त द्वारा घर के अंदर अपनी मां द्वारा पैसे न देने पर फावड़े से उसके सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त ने स्वयं के उक्त कृत्य से मां–बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। हिन्दू धर्म में मां को भगवान का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में वर्णित है कि मां का ऋण किसी भी प्रकार से नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन अभियुक्त ने उसी मां की हत्या कर निंदनीय कार्य किया है। अतः अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए निम्न दण्ड से अभियुक्त को दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा व इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

दण्डादेश

दोषसिद्ध जोगेन्द्र उर्फ ढोला को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से एवं अंकन 10,000/– (दस हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने

पर दोषसिद्ध को 10 (दस) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध द्वारा दौरान विवेचना एवं विचारण कारागार में बिताई गयी अवधि दण्डादेश की अवधि में समायोजित की जायेगी।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा चौकीदार है तथा मृतका के पति ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः वह कोई भी क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः दोषसिद्ध के ऊपर अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाएगी।

दोषसिद्ध का सजायावी वारंट बनाकर उनको उपरोक्त शास्ति भुगतने हेतु जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाए।

दोषसिद्ध को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक :–25.07.2025

(रवि कान्त-III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–25.07.2025

(रवि कान्त-III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।